

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 25/01/2023

क्रमांक F-3-20/2022/10-1:: राज्य शासन एतद्वारा श्री रविन्द्र पाठीदार, वनक्षेत्रपाल, परिक्षेत्र^(३) अधिकारी, शमशाबाद सामान्य वनमण्डल विदिशा को प्रशासकीय दृष्टि से स्थानांतरित करते हुये परिक्षेत्र अधिकारी, मोहदा सामान्य वनमण्डल पश्चिम बैतूल में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है।



मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

११२३
(अशोक कुमार)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ० क्रमांक:F-3-20/2022/10-1,

भोपाल दिनांक 25/01/2023

प्रतिलिपि:-

- (1) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल।
- (2) विशेष सहायक, माननीय वन मंत्रीजी, भोपाल।
- (3) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म०प्र०, भोपाल।
- (4) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन- ।।), भोपाल।
- (5) स्टाफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, मंत्रालय।
- (6) संबंधित मुख्य वन संरक्षक म० प्र०।
- (7) संबंधित वनमण्डलाधिकारी म० प्र०।
- (8) संबंधित द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.- ।।)
भोपाल।
- (9) गार्ड फाईल
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

११२४
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

email 30/1/23

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 25/01/2023

क्रमांक:एफ 3-07/2022/10-1 :: राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित वनक्षेत्रपालों को उनके नाम के समक्ष दर्शित परीक्षाओं में समिग्नित होने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करता है:-

1	वन वृत्त का नाम	वनक्षेत्रपाल का नाम	परीक्षा का नाम
1.	कार्य आयोजना इकाई, शिवपुरी	श्री राजेश कुमार निनामा	बॉटनी विषय पर पी.एच.डी. करने वाले।
2.	भोपाल	श्री रघुनीश कुमार शुक्ला	म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उच्च शिक्षा विभाग में कुल सविव परीक्षा
3.	सागर	श्री वरिक्कर सिंह	ICFRE 2022 द्वारा आयोजित साईटिस्ट-बी पद के लिए वर्ष 2022
4.	सिवनी	श्री मयंक उपाध्याय	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन चुनिवर्सिटी द्वारा संचालित एम.ए.(अंग्रजी) के ODL पाठ्यक्रम वर्ष 2022
5.	उज्जैन	सुश्री अर्चा हरित	म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा वर्ष 2019

शर्तें :-

- (i) परीक्षा की तैयारी के कारण वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षण में कोई व्यवधान नहीं होगा। व्यवधान पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना/कारण बताये अनुमति कभी भी निरस्त की जा सकेगी।
- (ii) परीक्षा दिनांक के अतिरिक्त कोई अवकाश देय नहीं होगा।
- (iii) अन्य सेवा में चयनित होने पर वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षण हेतु सालवेन्य के रूप में दी गई अनुबंध की दृष्टि व्यापस करना होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अशोक कुमार)


अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

निरक्षता.....2

Order 2023 H.S. Ahirwar

O/C



12/

पृ० क्रमांकःएफ 3-07/2022/10-1,

भोपाल दिनांक 25/01/2023

प्रतिलिपि -

- (1) विशेष सहायक, माननीय वन मंत्रीजी, भोपाल।
- (2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), मध्यप्रदेश, भोपाल।
- (3) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास), भोपाल।
- (4) संबंधित.....द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II), भोपाल।
- (5) गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

9/25/1123
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रगुख म0प्र० भोपाल.

पृ०क्रमांक/प्रशा- 11/स्था-3/वक्षे.कक्ष/563

भोपाल, दिनांक 30/01/2023

प्रतिलिपि:

1. मुख्य वन संरक्षक, गोपाल/सागर/सिवनी/शिवपुरी/उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. संबंधित वनक्षेत्रपाल द्वारा संबंधित नियंत्रणकर्ता अधिकारी के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि संबंधित वनक्षेत्रपाल को प्रति तामिल कराना सुनिश्चित करें।

30/01/23
(हरिशंकर मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा- 11)
मध्यप्रदेश भोपाल

0/c